HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 184/2026

Harishankar S/o Lalchand, Aged About 46 Years, R/o Rajatgrah Colony, (Virendra Singh Ji Hada Ke Makan Ke Samne) Gate No. 8 Bundi, Post Bundi, District Bundi, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. Banwari Lal, S/o Deendayal, Aged About 40 Years, R/o Village Sahan, Post Sahan, Thana Karwar, Tehsil- Nainwa, District Bundi, Rajasthan.
2. State Of Rajasthan, Through PP, Thana-Karwar

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Yogesh Kalla, Adv. for Mr. Madhusudan Purohit, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Order</u>

<u>04/05/2026</u>

आई.ए. 1/26 शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ, परंतु शीघ्र सुनवाई के कोई उचित आधार नहीं है, नियत समयानुक्रम में प्रकरण की सुनवाई की जावेगी, अतः आवेदन खारिज किया जाता है।

<u>S.B. Criminal Misc. Stay Application No. 883/2026</u>:-

स्थगन आवेदन पर सुना गया।

अभियुक्त/याची को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां जिला–बून्दी के द्वारा आदेश दिनांक 06.02.2024 के माध्यम से धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले में दोषसिद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई, अपील के निस्तारण के समय अभियुक्त फरार रहा तथा निगरानी याचिका प्रस्तुत करते समय भी अभियुक्त द्वारा समर्पण नहीं किया गया।

यह स्थगन आवेदन पेश कर सारतः दण्डादेश स्थगित किये जाने का निवेदन किया है, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 323

के अनुसार अभियुक्त के समर्पण किये बिना यह दण्डादेश स्थगन आवेदन सुनवाई हेतु स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में यह स्थगन आवेदन खारिज किया जाता है। भविष्य में यदि अभियुक्त द्वारा समर्पण किया जाता है, तो वह नवीन दण्डादेश स्थगन आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा।

S.B. Criminal Revision Petition No. 184/2026:-

चूंकि अभियुक्त द्वारा समर्पण नहीं किया गया है तथा दण्डादेश स्थगित भी नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इस संबंध में कार्यालय द्वारा इस आदेशिका की प्रति प्रेषित करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /120